न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16/174

1. हीरालाल आयु बालिग आत्मज देवा
2. फौरू आयु बालिग अत्मज हीरालाल
3. धन्नी बाई आयु बालिग पत्नी फौरू
4. महावीर आयु बालिग आत्मज हीरा लाल ।
5. बरजी बाई आयु बालिग पुत्री हीरा लाल जातियान गुर्जर निवासीगण ग्राम नीमका खेडा तहसील एवं जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. प्रभूलाल आयु बालिग आत्मज रतना
2. भैरूलाल आयु बालिग आत्मज रतना
3. रोडू लाल आयु बालिग आत्मज रतना
4. छोटा बाई आयु बालिग पुत्री आत्मज रतना जातियान गुर्जर निवासीगण नीमका खेडा तहसील एवं जिला बून्दी ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री महेन्द्र शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री कैलाश गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 10.09.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2015 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 155 की धारा 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण व प्रतिवादी कम 6 आपस में सगे भाई हैं व प्रतिवादिनी संख्या 7 वादीगण व प्रतिवादी कम 6 की बहिन हैं । खाता संख्या 439 की खसरा नम्बर 216 रकबा 01

बीघा 17 बिस्वा भूमि वाके ग्राम नीमकाखेडा तहसील बून्दी में स्थित है । उक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादी क्रम 6 के खाते व कब्जे की भूमि है जिस पर वे लगातार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं । प्रतिवादी क्रम 1 से 5 लडाकू प्रवृति के है तथा वादीगण गरीब परिवार के होने से अपनी ताकत के बल पर उक्त भूमि पर कब्जा करने पर आमादा हैं ।

3. अतः प्रतिवादीगण क्रम 1 से 5 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे उक्त भूमि पर वादीगण के कब्जे काश्त में मदाखलत व मजाहमत नहीं करे तथा दौराने वाद यदि प्रतिवादीगण क्रम 1 से 5 कब्जा कर ले तो वापस वादीगण को दिलाया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2015 के द्वारा वादीगण का वाद स्वीकार करते हुए प्रतिवादी क्रम 1 से 5 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का आदेश पारित किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2015 से व्यथित होकर प्रतिवादीगण क्रम 1 से 5 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली जवाबदावा एवं जवाब प्रार्थना पत्र हेतु तारीख पेशी में नियत थी । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए अपीलान्ट को बिना कोई सुनवाई का अवसर दिये उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी। अधीनस्थ न्यायालय में लोक अदालत में पक्षकारान द्वारा विधिवत राजीनामा भी पेश नहीं किया था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में निर्णय पारित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय एवं डिक्री की अपीलान्ट को कोई जानकारी प्राप्त नहीं थी । उक्त निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी रेस्पोडेन्ट द्वारा इजराय की कार्यवाही करने पर हुई जिस पर उक्त निर्णय एवं डिक्री की प्रति प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली जवाबदावे के लिए तारीख पेशी में नियत थी और अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में बिना सीपीसी की पालना किये निर्णय पारित किया है । वादी रेस्पोडेन्ट ने तथ्य छुपाकर दावा पेश किया है । वादीगण द्वारा पूर्व में अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दावा पेश किया गया था उसमें उनको स्थगन आदेश प्राप्त नहीं हुआ था, अब उन तथ्यों को छुपाकर अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का

दावा पेश किया गया है । दावा दायरी की दिनांक को वादीगण का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा नहीं था । अधीनस्थ न्यायालय ने सीपीसी की पालना किये बिना निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2015 की पालना हो चुकी है । अपीलान्ट के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की कार्यवाही की गई थी । लोक अदालत में निर्णय होने के पूर्व ही उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही हो गई थी । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2015 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्टगण की ओर से वकालतनामा पेश किया गया था । पत्रावली प्रतिवादी क्रम 6 व 7 की तलबी एवं जवाबदावे में लम्बित थी । दिनांक 05.03.2012 को प्रतिवादी क्रम 6 के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई इसके उपरान्त प्रतिवादी क्रम 7 की तलबी एवं जवाब में लम्बित थी इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में किसी की भी उपस्थिति दर्ज नहीं की गई है और इसी दिन दावा वादी डिक्री कर दिया गया ।

12. रेस्पोडेन्ट के विद्धान अभिभाषक का यह कथन है कि अपीलान्टगण के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्टगण के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही नहीं की गई है वरन् प्रतिवादी क्रम 6 के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की गई है । पत्रावली प्रतिवादी क्रम 7 की तलबी एवं जवाबदावे में लम्बित थी । लोक अदालत में पक्षकारान न तो उपस्थित हुए हैं और न ही उनके द्वारा कोई विधिक राजीनामा पेश किया गया है और उसी दिन डिक्री पारित की गई है जो सीपीसी के प्रावधानों के विरूद्ध है । लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभयपक्ष द्वारा विधिवत रूप से राजीनामा पेश किया गया हो । परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान द्वारा कोई राजीनामा प्रस्तुत नहीं किया है इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय लोक अदालत की भावना के विरूद्ध पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 15.07.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलान्टगण

से जवाबदावा प्राप्त कर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए गुणावगुण के आधार पर नये सिरे से पत्रावली प्राप्त होने के दिनांक से अन्दर 06 माह में विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 31.10.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 10.09.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

10.9.18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा